



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012022-232938
CG-DL-E-27012022-232938

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]
No. 49]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 2022/माघ 7, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 2022/ MAGHA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 49(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 55/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 29 दिसंबर, 2021, जिसे सा.का.नि. 904(अ) दिनांक 29 दिसंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित गया था, के हिंदी संस्करण में, पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 7 में, “धारा 12 की उप-धारा (3)” के स्थान पर “धारा 3 की उप-धारा (12)” पढ़ें।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/286/2021-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव